न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

रण संख्या 78/2016/दावा

1. फतेह सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. कुलदीप सिंह पुत्र हेमसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादीगण

ब ना म

1. कान सिंह आयु 65 साल
2. जतन सिंह आयु 63 साल
3. करण सिंह आयु 55 साल
4. जगमाल सिंह आयु 50 साल
5. गोविन्द सिंह आयु 48 साल
6. बजरंग सिंह आयु 42 साल

पुत्रगण डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

7. मदनकंवर आयु 80 साल पत्नि स्व. डूंगरसिंह
8. बहादुर सिंह पुत्र सांवत सिंह
9. मोरमुकुट सिंह उर्फ मयुरध्वज सिंह पुत्र श्री जयसिंह
10. तेजसिंह पुत्र किशन सिंह
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, व रिकार्ड दुरूस्ती

स्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादीगणों की ओर से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,8,10,11 स्वयं उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 3,4,7,9 व 12 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक : 03.10.2016

(फास्ट ट्रेक)
(सीकर)

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र बाबत उदघोषणा, व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 94 रकबा

Scanned with CamScanner

2.25 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 52 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 53 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का हिस्सा 1/16 दर्ज रेकार्ड है । तथा वादीगण व प्रतिवादीगणों की पैतृक कृषि भूमियां हैं । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही दादा की संतानें हैं व एक ही परिवार के हैं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने वर्षो पूर्व अपने पूर्वजों के समय से ही पुश्तैनी कृषि भूमियों का बाहमी बंटवारा कर लिया था बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 93 व 94 सम्पूर्ण में से 1/16 हिस्सा वादीगण के हिस्से में आया हुआ है । जिसको वादीगण ने पैसा खर्च कर काश्त के योग्य बनाया है प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का उक्त कृषि आराजियात से कोई लेना देना नहीं है । उक्त भूमियों की गिरदावरियां वादीगणों के नाम दर्ज है । उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 स 11 का नाम अंकित है जिसे हटाया जाकर वादीगणों का नाम अंकित कराया जाना है । वादीगणों ने प्रतिवादीगणों को उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु कहने पर सभी प्रतिवादी दुरूस्ती कराने को कहते रहे किन्तु सभी प्रतिवादीगणों के एक साथ उपस्थित नहीं होने के कारण दुरूस्ती नहीं हो पाई इसलिए दावा दर्ज करवाना आवश्यक हुआ । अतः उपरोक्त खातेदारी भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे ।

उक्त वादपत्र पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,8,10, व 11 स्वयं उपस्थित आये तथा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त कृषि भूमियां खसरा नम्बर 93, 94 में से हिस्सा 1/16 हमारी पुश्तैनी कृषि भूमियां हैं हमने हमारे पूर्वजों के समय से ही हमारी कृषि भूमियों का बंटवारा कर लिया था जिसमें उक्त कृषि भूमियां वादीगणों के हिस्से में आई हुई है उक्त भूमियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है तथा ना ही उक्त भूमियों पर हम काश्त करते हैं । उक्त भूमियों की खातेदारी यदि वादीगणों के नाम दर्ज की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । प्रतिवादी संख्या 3,4,7,9 व 12 बावजूद नोटिस तामील हाजिर अदालत नहीं आये इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

बहस वादीगणों के विद्वान अभिभाषक की सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नये आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 94 रकबा 2.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/16 वादीगण के कब्जे व अधिकार की है जो उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरी से भी प्रमाणित है। भूमि खसरा नम्बर 93 व 94 की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर उक्त भूमियों के 1/16 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे । तथा वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
[illegible](सीकर)

Scanned with CamScanner

हमने वादीगण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का राजीनामा का अवलोकन किया गया। ग्राम चन्द्रसिंहपुरा के भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 94 रकबा 2.25 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में से हिस्सा 1/16 की भूमियां वादीगण के कब्जे काश्त में लम्बे समय से चली आ रही है तथा विवादित भूमियां पैतृक हैं तथा उक्त भूमियों के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हिस्से में अन्य भूमियां आई हुई है जिसकी खातेदारी उक्त प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है तथा इस बाबत पक्षकारान के बीच राजीनामा भी पेश होकर तस्दीक हो चुका है एसी स्थिति में वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 94 रकबा 2.25 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 2.26 हैक्टर सम्पूर्ण में से हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

फतेह सिंह आदि बनाम कानसिंह आदि

दावा बाबत उद्‌घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 78/दावा/2016 निर्णय दिनांक : 03.10.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री भवानी सिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है मुताबिक राजीनामा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है ग्राम चन्द्रसिंहपुरा प.मंडल जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 93 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 94 रकबा 2.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/16 से प्रतिवादी संख्या 1 स 11 का नाम हजफ किया जाकर वादीगणों को खातेदार काश्तकार उद्‌घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो । अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 ,अक्टूबर,, 2016 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	2	00
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	13	00	मीजान	3	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned with CamScanner